न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 43 / 2025

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण
1. भैरूसिंह पुत्र शंभूसिंह 2. रतनसिंह पुत्र शंभूसिंह जातियान राजपूत निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. शैतानसिंह पुत्र जयसिंह 2. मंगुकंवर पत्नि शंकरसिंह 3. प्रियंका कंवर पुत्री शंकरसिंह 4. गुमानसिंह पुत्र दौलतसिंह 5. सवाईसिंह पुत्र वगतावरसिंह जातियान राजपूत निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 6. ओमाराम पुत्र बीजलाराम 7. रमेश कुमार पुत्र बीजलाराम 8. सुबटी पत्नि बीजलाराम जातियान वाल्मीकी निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 9. अणसीदेवी पत्नि भीखाराम 10. अमराराम पुत्र भीखाराम 11. आदूराम पुत्र लिखमाराम 12. खेमाराम पुत्र भीखाराम 13. खेराजराम पुत्र पेमाराम 14. चेतनराम पुत्र लिखमाराम 15. जगमालराम पुत्र पेमाराम 16. नारणाराम पुत्र पेमाराम 17. पनीकुमारी पुत्री रायमलराम 18. भंवरी पुत्री रायमलराम 19. भानाराम पुत्र चौनाराम 20. भीखाराम पुत्र पेमाराम 21. [illegible] पुत्र रायमलराम 22. [illegible] पेमाराम 23. [illegible] 24. [illegible] पुत्र भीखाराम 25. [illegible] पुत्री रायमलराम जातियान जाट निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 26. सरपंच ग्राम पंचायत डण्डाली पंचायत समिति सिणधरी जि. बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

27. रेन्जर, वन विभाग रेंज
सिणधरी जि. बालोतरा
28. तहसीलदार सिणधरी जिला
बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 22.04.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार हल्का–डण्डाली में ग्राम डण्डाली के खसरा संख्या 206 रकबा 2.2652 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206/1 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206/2 रकबा 2.7263 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार हल्का–डण्डाली में ग्राम डण्डाली के खसरा संख्या 206 रकबा 2.2652 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206/1 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206/2 रकबा 2.7263 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:45 IST
Reason: SelfAttested

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार हल्का–डण्डाली में ग्राम डण्डाली के खसरा संख्या 206 रकबा 2.2652 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206/1 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206/2 रकबा 2.7263 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद

बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार हल्का–डण्डाली में ग्राम डण्डाली के खसरा संख्या 206 रकबा 2.2652 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206/1 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206/2 रकबा 2.7263 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया तहसील सिणधरी पटवार हल्का–डण्डाली में ग्राम डण्डाली के खसरा संख्या 206 रकबा 2.2652 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206/1 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206/2 रकबा 2.7263 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार हल्का–डण्डाली में ग्राम डण्डाली के खसरा संख्या 206 रकबा 2.2652 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206/1 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206/2 रकबा 2.7263 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी